Online ISSN: 3107 - 7676

IJMR 2025; 1(6): 11-13

2025 November - December

www.allmultiresearchjournal.com

Received: 15-09-2025

Accepted: 17-10-2025

Published: 06-11-2025

Doi: https://doi.org/10.54660/IJMR.2025.1.6.11-13

भारतीय महिलाओं का शैक्षणिक संघर्ष एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

रिंकी जादव

अतिथि विद्वान शासकीय महाविद्यालय राधौगढ़, जिला-गुना, मध्य प्रदेश, भारत

Corresponding Author; **रिंकी जादव**

प्रस्तवाना

भारत में महिलाओं के जीवन में संघर्ष प्रारंभिक काल से ही चला आ रहा है। वह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक आदि विषय में प्रतिदिन चुनौतियों को स्वीकारती है। भारतीय महिलाओं की शिक्षा का ऐतिहासिक काल उनकी निम्न स्थिति को दर्शाता है। परंतु वैदिक काल का चरण महिलाओं के लिए वरदान था। उत्तर वैदिक काल एवं मध्यकाल तक विद्यालय के दरवाजे बंद थे। पुरुष प्रधान समाज की विचारधारा के मजबूत जाल ने महिलाओं की जीवन की गति को जकड़ लिया था।

महिलाओं के शिक्षा संघर्ष में सर्वप्रथम भारतीय प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फुले का नाम लेना लाजमी है। उन्होंने स्वतंत्रता पूर्व महिला शिक्षा संघर्ष में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सन 1848 में ज्योतिबा फुले एवं सावित्रीबाई फुले ने भारत का पहला कन्या विद्यालय शुरू किया था। सामाजिक विरोध के बावजूद इन्होंने बालिकाओं को शिक्षित किया।

महिला शिक्षा संघर्ष में पंडित रमाबाई की झलक भी ख्याति पूर्ण थी। सन 1882 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में एक शिक्षा आयोग नियुक्त किया। 'हंटर एजुकेशन कमीशन' जिसके लिए रमाबाई ने लार्ड रिपन के सामने रिपोर्ट पेश की, कि शिक्षकों को उनकी नौकरी के लिए प्रशिक्षित किया जाए और विद्यालयों में अधिक महिलाओं को नियुक्त किया जाना चाहिए।

भारत में शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए प्रशासन द्वारा अनेको आयोगो एवं समितियां का गठन किया। जिन्होंने महिला शिक्षा उद्देश्य के आधार पर शिक्षा प्रणाली को बेहतर ढंग से बनाने का प्रयत्न किया जो निम्न प्रकार है-

राधाकृष्णन आयोग 1947-49

यह स्वतंत्र भारत का पहला आयोग था। इस आयोग को विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। स्वतंत्रता पश्चात भारत सरकार द्वारा 4 नवंबर 1948 को उच्च शिक्षा प्रणाली का मूल्यांकन और सुधार करने के लिए इस आयोग

का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इस आयोग ने 25 अगस्त 1949 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की एवं सिफारिश की कि उच्च शिक्षा में महिलाओं के लिए समान अवसर और सुविधा होनी चाहिए।

राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति-1958

इस समिति का गठन डॉ. दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में किया गया। इस समिति का मुख्य उद्देश्य वर्तमान प्रणाली का सर्वेक्षण करना, उनकी समस्याएं जानना एवं उन समस्याओं के सुधार का सुझाव देना आदि था।

इस समिति ने अपनी सिफारिशो में महिला शिक्षा पर जोर दिया जो निम्न प्रकार प्रस्तुत है-

- लड़कों और लड़कियों की शिक्षा के बीच शैक्षिक समानता स्थापित करने पर ध्यान देना।
- माध्यमिक स्तर पर सह-शिक्षा जारी रखना।
- हाई स्कूल में लड़कियों के लिए विशेष संस्थान और अनुकूलन पाठ्यक्रम बनाना।
- महिलाओं के लिए भविष्य के अवसरों और महिला प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण पर ध्यान देना।
- महिलाओं के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था करना आदि।

कोठारी आयोग-1964

भारत में शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए इस आयोग को गठित किया गया। जिसका उद्देश्य सभी स्तरों पर शिक्षा के विकास के लिए एक राष्ट्रीय पैटर्न और नीतियां तैयार करना था। इस समिति का गठन 14 जुलाई 1964 को डॉ. दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में किया गया। जिसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इस समिति का मुख्य उद्देश्य परीक्षा सुधार, समान पाठ्यक्रम और शिक्षा का संपूर्ण विकास करना आदि।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986

भारत में शिक्षा के सुधार के लिए राजीव गांधी सरकार द्वारा इस नीति को लागू किया गया। इस नीति के अंतर्गत महिला शिक्षा में समानता एवं सशक्तिकरण पर जोर दिया गया। जिसमें महिलाओं के शिक्षा स्तर को बढ़ावा और शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर प्राप्त करना आदि। इस नीति के का उद्देश्य लैंगिक भेदभाव को समाप्त करना था।

महिला समाख्या कार्यक्रम -1989

मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में महिला समाख्या कार्यक्रम किया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की शिक्षा का सशक्तिकरण करना एवं सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनाना था। ताकि वह अपने जीवन और समाज में बदलाव लाने में सक्षम हो सके।

प्रो. राम मूर्ति समिति-1990

इस समिति को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा करने के लिए गठित किया गया था। 1991 की रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया कि बेहतर शिक्षा बुनियादी ढांचे के लिए एक समान स्कूल प्रणाली, महिला शिक्षा को बढ़ावा, महिला परिप्रेक्ष्य आदि सिफारिश से की गई।

महिलाओं की शैक्षणिक बाधाएं

ग्रामीण परिवेश होने के कारण आधुनिकता से जुड़ाव काम है। अनेकों महिलाएं तकनीकी शिक्षा से अपरिचित है एवं साधनों एवं जानकारी के अभाव में शिक्षा के प्रस्ताव प्रचार प्रसार का लाभ नहीं ले पा रही है। इसी आधार पर महिलाओं की शैक्षणिक बढ़ाओ को निम्न प्रकार प्रस्तुत किया गया है-

- **सामाजिक बाधाएं-** सामाजिक बढ़ाएं महिलाओं को अधिक प्रभावित करते हैं लैंगिक असमानता वह जाति भेदभाव जैसी सामाजिक परंपरा महिलाओं को हाथों सहित करती हैं समाज में महिला होने का संपूर्ण अर्थ है पत्नी और मां। पत्नी और मां बनने के लिए महिला को शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती। यही कारण है कि महिलाओं की शिक्षा को प्राथमिकता नहीं दी जाती है।
- वर्ष 2018 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा एक रिपोर्ट में कहा गया था कि 15-18 वर्ष आयु की लगभग 39.4 प्रतिशत लड़कियां स्कूल शिक्षा हेतु किसी भी संस्थान में पंजीकृत नहीं है। इनमें से अधिकतर घरेलू कार्य में संलग्न है या भीख मांगने जैसे कार्य करती है।
- **पारिवारिक आर्थिक स्थिति**-शिक्षा प्राप्ति में सबसे बड़ी बड़ा बाधक तत्व परिवार की आर्थिक स्थिति का कमजोर होना है। आर्थिक कभी कमी लैंगिक भेद को बढ़ावा देती है।
- **परिजनों का अशिक्षित होना-** भारत एक ग्रामीण प्रधान समाज है। जहां अधिकतर परिजन अशिक्षित है। शिक्षा की कमी व अपर्याप्त ज्ञान के कारण बालिकाओं को घरेलू प्रक्रिया में प्रशिक्षित करना सामाजिक कर्तव्य मानते है एवं विद्यालय भेजना उचित नहीं समझते हैं।
- **शैक्षणिक साधनों का अभाव-** ग्रामीण क्षेत्र में यातायात की कमी एवं संसाधनों तक पहुंचन होने के कारण महिलाएं शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ हैं।

महिला शिक्षा में संविधान का योगदान

भारतीय संविधान में भारत के सभी नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्रदान किए गए है। इन मूल अधिकारों में महिलाओं को भी समानता और स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेदों के माध्यम से उन अधिकारों का निम्न प्रकार उल्लेख किया है-

अनुच्छेद 14 और 15- इस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य किसी भी नागरिक के साथ लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 21 (ए) 86 में संशोधन द्वारा इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है।

अनुच्छेद 39 (डी)- के अंतर्गत किसी भी ऐसे प्रचलित और प्रतीकात्मक व्यवहार जो महिलाओं के सम्मान के लिए अपमानजनक हो उसे हतोत्साहित करने का प्रावधान करता है।

निष्कर्ष

उपरोक्त शोध में शोधार्थिनी द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण द्वारा स्पष्ट किया गया है कि महिलाओं का शैक्षणिक संघर्ष अत्यधिक प्रयत्नशील रहा है। महिलाओं ने शैक्षणिक विकास के साथ आधुनिक प्रौद्योगिकी शिक्षा को स्वीकारा है। महिलाओं को शिक्षा प्रदान करने में प्रशासन में बेहतर प्रयास किए हैं। समितियां और शिक्षा नीति के माध्यम से शिक्षा का प्रचार प्रसार कर शिक्षा को अनिवार्य रूप देने का प्रयत्न किया है। साथ ही सशक्तिकरण हेतु राज्य एवं केंद्र सरकारों के माध्यम से योजनाओं को संचालित किया गया एवं विविध अनुच्छेदो से महिलाओं की सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति मैं सुधार किया गया।

संदर्भ सूची

1. कुमार सतीश 2019 भारत में महिला शिक्षा के संवैधानिक प्रावधान।
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986
3. कोठारी शिक्षा आयोग 1952-53
4. राधाकृष्णन आयोग 1947-49
5. राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति-1958
6. कोठारी आयोग-1964
7. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986
8. महिला समाख्या कार्यक्रम -1989
9. प्रो. राम मूर्ति समिति-1990
10. भारतीय संविधानअनुच्छेद 14 और 15
11. भारतीय संविधानअनुच्छेद 39 (डी)

How to Cite This Article
जादव रिं. भारतीय महिलाओं का शैक्षणिक संघर्ष एक समाजशास्त्रीय अध्ययन. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मल्टी रिसर्च. 2025; 1(6): 11-13.

Creative Commons (CC) License
This is an open access journal, and articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License, which allows others to remix, tweak, and build upon the work non-commercially, as long as appropriate credit is given and the new creations are licensed under the identical terms.